www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 28.06.2017

सीबीआई ने 1.15 करोड़ रू. (लगभग) की तथाकथित विमुद्रीकृत मुद्रा के नोटों को बदलने से सम्बन्धित मामले में डाक सेवा के तत्कालीन निदेशक सहित चार डाक कर्मियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने 1.15 करोड़ रू. (लगभग) से अधिक की तथाकथित विमुद्रीकृत मुद्रा के नोटों को बदलने से सम्बन्धित मामले में नवरंगपुरा मुख्य कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ डाक पाल तथा तत्कालीन उप डाक पाल ;डाक सेवा (डी.पी.एस.) के तत्कालीन निदेशक और वरिष्ठ डाक अधीक्षक, अहमदाबाद के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) एवं (डी) के तहत हाल ही में आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने विमुद्रीकृत की अवधि के दौरान डाकघर नवरंगपुरा मुख्य कार्यालय, अहमदाबाद के डाक कर्मियों द्वारा अनियमितता बरतने से सम्बन्धित डाक विभाग से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) एवं (डी) के तहत दिनांक 07.03.2017 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि दिनांक 08.11.2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा हुई तथा दिनांक 09.11.2016 को गैर वित्तीय दिवस था। नवरंगपुरा, मुख्य डाक घर के निरीक्षण के दौरान, ऐसा ज्ञात हुआ कि 6,59,800 करोड़ रू. (लगभग) की धनराशि दिनांक 09.11.2016 को अनाधिकृत रूप से बदली गयी क्योकि 100, 50, 20, 10 मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट दिनांक 08.11.2016 के ऑकड़ों के सापेक्ष में उपरोक्त धनराशि कम पायी गयी।

ऐसा आगे आरोप था कि नवरंगपुरा, मुख्य कार्यालय,एस.एस.पी.ओ. सि□टी डिवीजन के रिकार्ड तथा शाखा में उपलब्ध वास्तविक प्रपत्र की एक्सेल शीट में लिखे गए रिकार्ड में पुरानी सि□रीज (डब्ल्यू.ओ.एस.) के नोटों को बदलने/ निकालने की सूचना में विरोधाभाष था।

ऐसा भी आरोप था कि डाक सेवा के तत्कालीन निदेशक,सी.पी.एम.जी., अहमदाबाद के कार्यालय में कार्य करने के दौरान डाक विभाग एवं डाक घरों के विभिन्न कर्मियों के माध्यम से 1.04 करोड़ रू. (लगभग) की धनराशि प्राप्त की। उक्त धनराशि में से 90 लाख रू. (लगभग) की कथित रूप से विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान नवरंगपुरा डाक घर, जहॉं पर उक्त वरिष्ठ डाकपाल एवं उक्त उप डाक पाल कार्यरत थे, से बदले गए। इसी प्रकार से, उक्त वरिष्ठ डाक अधिक्षक, नवरंगपुरा मुख्य कार्यालय, अहमदाबाद ने कथित रूप से विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान नवरंगपुरा डाक घर से अवैध रूप से 11 लाख रू. बदल लिए।

आरोपियों के अहमदाबाद एवं आसपास स्थित 09 परिसरों में तलाशी भी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज एवं नई मुद्रा में नकद भी बरामद हुए।

जॉच के दौरान डाक सेवा के उक्त निदेशक, मुख्यालय, सी.पी.एम.जी. अहमदाबाद के कार्यालय में कार्यरत तथा डाकघर नवरंगपुरा मुख्य कार्यालय, अहमदाबाद के वरिष्ठ अधिक्षक को भी 19.03.2017 को गिरफ्तार किया।

गहन जॉंच के पश्चात, अहमदाबाद की नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्वारा की गयी जॉंच व इसके द्वारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****